बनाम

यालय

ख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
6.1.20	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित है पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी द्वारा अपना वाद साबित करने हेतु आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य पेश नहीं किये है इसलिए वादी का वाद खारिज किया जाता है विस्तृत आदेश पृथक से टंकित कराया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर सांभर लेक

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजकुमार कस्वा R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 58/ 2019 दायर तारीख :– 06.08.2019

1. सुखाराम उर्फ रामसूख पुत्र घीसा जाति जाट नि0 तिवारिया तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. भूराराम
2. हनुमान
3. नानूराम
4. मोहन
5. बाबूलाल

समस्त पुत्रान घीसा जाति जाट नि0 ग्राम तिवारिया तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

6. तहसीलदार कि0रेनवाल तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थित :– श्री मुकेश कुमार अहलूवालिया, अधिवक्ता वादी
श्री दिनेश वर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 6.1.2020

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी की आराजीयात नया खाता सं0 94 पुराना खाता सं0 86 खं0नं0 1/2 रकबा 22 बीघा 5 बिस्वा वाकै ग्राम डूंगरसी का बास प0ह0 डूंगरसी का बास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो कि विवादित है। उक्त दोनों आराजीयात वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 की संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 के पूर्व उक्त आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण के पिता स्व0 घीसा पुत्र जैता के नाम से राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज थी। जो कि रिकोर्ड का सबूत है। उक्त आराजीयात को वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 के पिता स्व0 घीसा पुत्र जैता द्वारा जरिये दान पत्र दी गई थी। दान पत्र करते समय दान पत्र मे वादी का घरेलू नाम सुखाराम लिख दिया गया था ओर उदसी अनुसार दान पत्र का नामान्तकरण खोल दिया गया क्योकिं उस समय सन् 1997 में आई डी प्रुफ वोटर आई डी कार्ड या आधार कार्ड नहीं थे ना ही रजिस्टर्ड करवाते समय इनकी मांग की जाती थी। उस समय वादी व परिवार अनपढ गवाई व्यक्ति होने से उक्त तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया ओर तब से आजतक उक्त दोनों आराजीयात में वादी का नाम सुखाराम ही चला आ रहा है। वादी का असल में नाम रामसूख है जो कि उसके सभी दस्तावेजात जैसे परिवार राशनकार्ड, पहचान कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, आधारकार्ड, बैंकपास बुक आदि रामसूख के नाम से ही है। वादी का नाम राजस्व नाम अलग होने ओर दस्तावेजात में नाम अलग होने से वादी को न तो कोई सरकारी सहायता ओर ना ही कृषि योजनाओं, किसान कार्ड आदि का लाभ नहीं मिल रहा है इससे वादी को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। वादी का परिवार केवल मात्र काश्त पर निर्भर है। उक्त दोनों ही खातेदारी वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 की संयुक्त हिन्दू परिवार की खातेदारी है इसलिए वादी के सगें भाई प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 को आवश्यक पक्षाकार बनाया गया है जबकि अन्य खातेदारी ग्राम तिवारिया में ही है जिसका खं0नं0 63/1 व 256/63 जिसमें वादी का नाम रामसुख है। परिवार में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। वादी का नाम सही हो तो किसी को कोई आपति नहीं है। उक्त दोनों विवादित आराजीयात में वादी का नाम सुखाराम पुत्र घीसा के स्थान पर रामसूख पुत्र घीसा किये जाने के लिए दावा दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी पेश करना आवश्यक हुआ है।
2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 की ओर से वकील श्री दिनेश वर्मा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 1 लगा0ा 5 ने जवाब पेश पेश किया जिसमें अंकित किया कि उक्त आराजीयात में वादी अपना नाम सुखाराम के स्थान पर रामसुख करवाता है तो हम प्रतिवादी सं0

सहायक कलक्टर
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

1 लगा0 5 को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी सं0 6 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित किया कि ग्राम डूंगरसी का बास के राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी संवत् 2072–75 के खाता सं0 94 खं0नं0 1/2 रकबा 22 बीघा 5 बिस्वा में खातेदार भूरा हनुमान सुखाराम बाबूलाल पि0 घीसाराम हि0 2/3 मोहनलाल पुत्र घीसाराम हि0 1/6 कौम जाट सा0 तिवारिया दर्ज है। नामान्तकरण व विक्रय पत्र की फोटो प्रति संलग्न है जो नामान्तकरण सं0 380 के द्वारा विक्रय से सुखाराम पुत्र घीसाराम के नाम स्वीकृत हुआ है। प्रार्थी द्वारा अपनी अन्य खातेदारी भूमि ग्राम तिवारिया में बताई गई है प्रार्थी ग्राम तिवारिया का ही निवासी है यह स्वंय सिद्व करें।

3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी वाकै ग्राम डूंगरसी का बास, फोटो प्रति वोटर आई0डी0, आधार कार्ड, राशनकार्ड, ग्राम पंचायत बरसीनागा का लेटर की प्रति पेश की है।

4. बहस वकील पक्षकारान की सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी की आराजीयात नया खाता सं0 94 पुराना खाता सं0 86 खं0नं0 1/2 रकबा 22 बीघा 5 बिस्वा वाकै ग्राम डूंगरसी का बास प0ह0 डूंगरसी का बास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो कि विवादित है। उक्त दोनों आराजीयात वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 की संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 के पूर्व उक्त आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण के पिता स्व0 घीसा पुत्र जैता के नाम से राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज थी। जो कि रिकोर्ड का सबूत है। उक्त आराजीयात को वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 के पिता स्व0 घीसा पुत्र जैता द्वारा जरिये दान पत्र दी गई थी। दान पत्र करते समय दान पत्र मे वादी का घरेलू नाम सुखाराम लिख दिया गया था ओर उदसी अनुसार दान पत्र का नामान्तकरण खोल दिया गया क्योकिं उस समय सन् 1997 में आई डी प्रुफ वोटर आई डी कार्ड या आधार कार्ड नहीं थे ना ही रजिस्टर्ड करवाते समय इनकी मांग की जाती थी। उस समय वादी व परिवार अनपढ़ गवाई व्यक्ति होने से उक्त तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया ओर तब से आजतक उक्त दोनों आराजीयात में वादी का नाम सुखाराम ही चला आ रहा है। वादी का असल में नाम रामसूख है जो कि उसके सभी दस्तावेजात जैसे परिवार राशनकार्ड, पहचान कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, आधारकार्ड, बैंकपास बुक आदि रामसूख के नाम से ही है। वादी का नाम राजस्व नाम अलग होने ओर दस्तावेजात में नाम अलग होने से वादी को न तो कोई सरकारी सहायता ओर ना ही कृषि योजनाओं, किसान कार्ड आदि का लाभ नहीं मिल रहा है इससे वादी को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। वादी का परिवार केवल मात्र काश्त पर निर्भर है। उक्त दोनों ही खातेदारी वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 की संयुक्त हिन्दू परिवार की खातेदारी है इसलिए वादी के सगें भाई प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 को आवश्यक पक्षाकार बनाया गया है जबकि अन्य खातेदारी ग्राम तिवारिया में ही है जिसका खं0नं0 63/1 व 256/63 जिसमें वादी का नाम रामसुख है। परिवार में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। वादी का नाम सही हो तो किसी को कोई आपति नहीं है। उक्त दोनों विवादित आराजीयात में वादी का नाम सुखाराम पुत्र घीसा के स्थान पर रामसूख पुत्र घीसा किये जाने के लिए दावा पेश किया है जो डिक्री किये जाने योग्य है। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी का डिक्री किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं है।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खोला गया व उसी आधार पर जमाबन्दी में इन्द्राज किया गया। उक्त विक्रय पत्र 21 वर्ष पुराना है। उक्त विक्रय पत्र में संशोधन के बिना रिकोर्ड ऑफ राईटस में संशोधन किया जाना उचित नहीं है। वादी ने उक्त विक्रय पत्र के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। वादी द्वारा अपना वाद साबित करने हेतु आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य पेश नहीं किए है इसलिए वादी का वाद खारिज किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है।
निर्णय दिनांक 6.1.2020 को मजमा–ए–आम में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलेक्टर
सांभर लेक

सहायक कलेक्टर सांभर लेक

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर सांभरलेक

बइजलास :– राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

1. सुखाराम उर्फ रामसूख पुत्र घीसा जाति जाट नि0 तिबारिया तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. भूराराम
2. हनुमान
3. नानूराम
4. मोहन
5. बाबूलाल

समस्त पुत्रान घीसा जाति जाट नि0 ग्राम तिबारिया तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज
मुकदमा नंबर 58/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मुकेश कुमार अहलूवालिया व हाजरी दिनेश वर्मा मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 01 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत.....
सहायक कलक्टर
साँभर लेक

मुहर

Scanned by CamScanner